सी.एन.आर.नं.यू.पी.एम.ई 120002452020

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, मवाना (मेरठ)

उपस्थित : .श्री प्रशान्त मौर्य (उ0 प्र0 न्यायिक सेवा)
ID.No-UP3377

वाद स. 64/2020

सरकार **बनाम** बंटी उर्फ हरिऔम आदि
मु.अ.स. 198/2019
अन्तर्गत धारा–498ए,323,506,504, भा0दं0सं0
एवं धारा 3/4 डी.पी.एक्ट
थाना–बहसूमा जिला– मेरठ ।

निर्णय

अभियुक्तगण राहुल कुमार, विपिन कुमार, हरिओम उर्फ बंटी, निर्भय सिंह एवं श्रीमती राजो के विरूद्ध मु.अ.स. 198/2019, धारा 498ए, 323, 504, 506, भा.द.स. एवं धारा 3/4 डी.पी.एक्ट के अंतर्गत थाना बहसूमा द्वारा प्रेषित आरोप पत्र के आधार पर विचारण किया गया।

संक्षेप में वादी का कथानक इस प्रकार से है कि वादी मुकदमा की पुत्री चांदनी की शादी दिनांक 20.06.2017 को अभियुक्त बंटी के साथ सम्पन्न हुई थी। वादी मुकदमा ने अपनी पुत्री की शादी में करीब चार लाख रूपया खर्च कर काफी घरेलू सामान दिया था। किन्तु शादी में दिए गए सामान से अभियुक्तगण खुश नहीं थें। अभियुक्तगण ने प्रार्थिनी से अपाची मोटरसाईकिल एवं पचास हजार रूपए नकद की मांग की और मांग पूरी न होने पर प्रार्थिनी को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित किया। उसके पश्चात वादी की पुत्री को मारपीट किया और उसके यह कहने पर कि मेरे पिता के घर ले चलो आपकी मांग पूरी करा दूॅगी। अभियुक्तगण उसकी पुत्री को लेकर ग्राम शाहपुर आ गए और काफी समझाने पर भी नही माने और अपनी उक्त दहेज की मांग पर अडे रहे। इन सभी ने गंदी गंदी गालियां दी व प्रार्थी की पुत्री के साथ मारपीट किया। दि0 15.08.2019 को पंचायत में काफी समझाने पर भी यह लोग नही माने और अपनी मांग पर अडिग रहे। अभियुक्तगण यह कह कर चले गए कि यदि हमारी उपरोक्त दहेज की मांग पूरी किए बगैर आयी तो जान से मार देगें। वादी मुकदमा के प्रार्थनापत्र पर अभियुक्तगण के विरूद्व मुकदमा कायम किया गया और सम्पूर्ण विवेचना के उपरांत अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्व आरोपपत्र उपरोक्त धाराओं में प्रेषित किया गया।

न्यायालय द्वारा आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के पश्चात अभियुक्तगण को तलब किया गया। अभियुक्तगण न्यायालय उपस्थित आये और बाद जमानत अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपपत्र में वर्णित धाराओं के अनुरूप आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया और विचारण

की मांग की।

अभियोजन पक्ष की ओर से अपने साक्ष्य के समर्थन मे पी.डबलू.1वीरसिंह, पी.डब्लू.2 चांदनी को परीक्षित कराया गया। तदुपरांत अभियुक्तगण की ओर से अभियोजन अभिलेखो की औपचारिकता को स्वीकार किया गया तथा अभियोजन साक्ष्य समाप्त की गयी ।

अभियुक्तगण के बयान धारा 313 द.प्र.स. अंकित किए गए। अभियुक्तगण ने अपने बयान में घटना से इंकार किया तथा बचाव मे कोई सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने से इंकार किया।

न्यायालय द्वारा सहायक अभियोजन अधिकारी एवं विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त के तर्क सविस्तार सुने तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का अवलोकन किया।

अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को सिद्ध करने का भार अभियोजन पर है। अभियोजन पक्ष की ओर से इस सम्बंध मे दो साक्षी को परीक्षित कराया गया है।

पी.डब्लू.1 वीरसिंहने अपने बयान की मुख्य परीक्षा मे कथन किया कि उसकी पुत्री की शादी हरिओम उर्फ बंटी के साथ हिन्दू रीतिरिवाज के अनुसार सम्पन्न की थी। जिसमें अपनी हैसियत के अनुसार काफी घरेलू सामान दिया था तथा 51000/–रूपए नकद दिया गया था। लेकिन अभियुक्तगण शादी में दिए गए सामान से खुश नही थे और अतिरिक्त दहेज में अपाची मोटरसाईकिल और पचास हजार रूपए की मांग करते थे और उसके साथ मारपीट किया और उत्पीडन शुरू कर दिया और प्रार्थी की पुत्री के साथ मारपीट किया वादी मुकदमा ने घटना के सम्बंध में थाना हाजा पर प्रार्थनापत्र दिया जिसके आधार पर थाना पर मकुदमा दर्ज हुआ। साक्षी ने घटना की बाबत प्रस्तुत किए गए प्रार्थनापत्र तहरीर प्रदर्श–1 पर अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त किया। पुनः परीक्षित किए जाने पर दौरान जिरह साक्षी ने को धारा 161 द.प्र.स. का बयान पढकर सुनाया गया तो साक्षी ने ऐसा कोई बयान दरोगाजी को देने से इंकार किया। उसका यह बयान कैसे लिखा गया वह कारण नही बता सकता। उसकी पुत्री का ससुराल वालो से वैचारिक मतभेद हुआ था। जिसे बाद में हम लोगो ने समझा बुझाकर शांत कर दिया था। साक्षी ने हाजिर अदालत अभियुक्तगण से सुलह होना स्वीकार किया तथा कथन किया कि उसकी पुत्री अपनी ससुराल में खुशी से रह रही है।

पी.डब्लू.2 चांदनी ने अपने बयान की मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया कि मेरा विवाह दि0 20.06.2017 को हरिओम उर्फ बंटी के साथ हिन्दू रीतिरिवाज के अनुसार सम्पन्न हुआ था। ससुराल वालो से कुछ वैचारिक मतभेद हो गया था जिसे हमारे परिवार वालो ने व ससुराल वालो ने सुलझा लिया है। अभियुक्तगण ने मेरे साथ कोई मारपीट नही की न गालियां दी न जान से मारने की धमकी दी न किसी प्रकार के दहेज की मांग की न शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित किया। दौरान जिरह साक्षी को धारा 161 द.प्र.स. का बयान पढकर सुनाया तो साक्षी ने ऐसा कोई बयान दरोगाजी को देने से इंकार किया। उसका यह बयान कैसे लिखा गया वह कारण नही बता सकती। साक्षी ने अभियुक्तगण से सुलह होना स्वीकार किया और कोई दहेज की मांग करने या इस कारण मारपीट करने व गालियां देने से इंकार किया। अन्य कोई साक्षी अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया।

उल्लेखनीय है कि प्रकरण मे प्रस्तुत साक्षी स01, वादी मुकदमा द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए तहरीर प्रदर्शक–1 पर अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त किया तथा दौरान जिरह साक्षी ने कथन किया कि साक्षी ने को धारा 161 द.प्र.स. का बयान पढकर सुनाया गया तो साक्षी ने ऐसा कोई बयान दरोगाजी को देने से इंकार किया। उसका यह बयान कैसे लिखा गया वह कारण नही बता सकता। उसकी पुत्री का ससुराल वालो से वैचारिक मतभेद हुआ था। जिसे बाद में हम लोगो ने समझा बुझाकर शांत कर दिया था। साक्षी ने हाजिर अदालत अभियुक्तगण से सुलह होना स्वीकार किया तथा कथन किया कि उसकी पुत्री अपनी ससुराल में खुशी से रह रही है। इस प्रकार उसने हाजिर अदालत मुलजिमान द्वारा कोई घटना कारित करने से इंकार किया। आगे जिरह किए जाने पर भी इस साक्षी की साक्ष्य में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया जिससे अभियोजन कथानक को बल प्राप्त हो। साक्षी सं02 ने अपनी मुख्य परीक्षा व प्रतिपरीक्षा में घटना का समर्थन नही किया। अन्य कोई साक्षी अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया।

इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विवेचन से स्पष्ट है कि अभियोजन साक्षी के बयान विरोधाभासी है। अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप को युक्ति युक्त संदेह से परे सिद्व करने मे असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण लगाये गये आरोप से संदेह का लाभ पाते हुए दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण राहुल कुमार, विपिन कुमार, हरिओम उर्फ बंटी, निर्भय सिंह एवं श्रीमती राजो को मु. अ.स. 198/2019 धारा 498ए, 323, 504, 506 भा.द.स. एवं धारा 3/4 डी.पी.एक्ट के अंतर्गत, थाना बहसूमा, मेरठ मे आरोप से दोष मुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण इस प्रकरण मे जमानत पर है। अभियुक्तगण के बंधपत्र निरस्त एवं जामिनान को उनके जमानत दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

धारा 437।1। सी.आर.पी.सी. के अनुपालन हेतु अभियुक्तगण द्वारा बीस हजार रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं इसी धनराशि की दो जमानती दाखिल किये गये कि यदि इस प्रकरण मे अपील की जाती है और उन्हें तलब किया जाता है तो वह अपीलीय न्यायालय में उपस्थित होगें। इन बंधपत्रों की अवधि 6 माह तक वैध होगी।

(प्रशान्त मौर्य)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मवाना मेरठ।
ID.No.UP3377

दिनांकः–06.03.2026

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उदघोषित किया गया।

(प्रशान्त मौर्य)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मवाना मेरठ।
ID.No.UP3377

दिनांकः–06.03.2026

This is uncertified copy for information/Reference. for authentic copy please refer to certified copy only.